



कार्यवाही मुख्य अभियान्ता अधिकाारी बनीयाका नगर निगम जयपुर, हैरिटेज।

क्रमांक अभियान्ता/म.नि.ज.हैरिटेज/23-24/114

दिनांक 11/5/24


अवर सचिव,  
G+1<sup>st</sup>+2<sup>nd</sup> FLOOR,  
मुख्य नगर हाउसिंग सोफ्टर,  
जयपुर।

विषय :- अभियान्ता पत्र/उपकरण का निर्देशन पूर्व अभियान्ता की वृत्ति से अभिराधा पर जारी किये जाने बाबत।

दीर्घता :- अभियान्ता अनुमोदित प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2023 तक वैध है।

उपरोक्त विधानमंडल अधोदित स्थल मुख्य नगर हाउसिंग सोफ्टर, जयपुर में निर्मित श्री हरिदेव साहू पब्लिक स्कूल का वार्षिक गरीबी-उपकरण किये जाने हेतु अभियान्ता मुख्य की वृत्ति से नोका निर्देशन की सुधम कर्मा सहकारक अभियान्ता अधिकाारी द्वारा किया गया। निर्देशन के दौरान अधोदित स्थल पर स्थापित किये गये अभियान्ता पत्र/उपकरण शही व कार्यालय अवरथा में किये गये। अभियान्ता पत्र/उपकरण व अन्य व्यवसायों को सदैव कार्यक्षेत्र अवरथा में रखे जाने हेतु नोका पर स्थापित अभिकाारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व कार्या के प्रतिष्ठित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। यदिथा में अधोदित स्थल पर कंकटोर रेस्टोरेंट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जायेगा। अवर अन्य किसी फर्म को बेधान या तीज पर किये जाने को उरता की चलन सुनिश्चित किये जाने को परवाश की अधिन कर्माकारी की जाये। अवरथा अनुमोदित नकाही निराला जारी जायेगी। अभियान्ता पत्रों को चलाने वाले हेतु एक कार्यालय प्रतिष्ठित कर्मचारी हर समय रखा जाना आवश्यक होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 पूर्व राजस्थान नगरीय क्षेत्र कवन विनियम 2020 की कर्मा की चलन अनुमोदित होगी। इस विधान द्वारा पूर्व जारी किए गए पत्रांक एन.अ/आ. पा./म.नि.ज./16/1123 दिनांक 08.09.2018 में अंकित कर्मा व्यवस्था रहेगी।

एक अभिराधा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिराधा पत्र को विधि से दिनांक 27.12.2023 तक नवीनीकृत किया जाता है।



PRINCIPAL, 28/06/2024  
HARENDRA MAHESHWARI  
Sri Hari Rai School Public School  
Subhash Nagar, JAIPUR-15

(पंजीकृत अभियान्ता)  
मुख्य अभियान्ता अधिकाारी  
नगर-जीएमन-जयपुर, हैरिटेज